छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 258 / 2006

प्रोफे0 हरीश कुमार (निलंबित), ... अपीलार्थी
एम.आई.जी. स्टेण्डर्ड, लक्ष्मी निवास,
शिवघाट, सरकंडा,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

प्रोफे0 हरीश कुमार (निलंबित), ... प्रतिअपीलार्थी
एम.आई.जी. स्टेण्डर्ड, लक्ष्मी निवास,
शिवघाट, सरकंडा,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(10 अगस्त 2006)

श्री हरीश कुमार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत सूचना अधिकारी, कुलसचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के पत्र दिनांक 28–3–2006 से असंतुष्ट होकर कुलपति अपीलीय अधिकारी, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को प्रस्तुत अपील दिनांक 30–5–2006 का निराकरण समयावधि में नहीं करने के फलस्वरूप द्वितीय अपील दिनांक 1–7–2006 को प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 22–2–2006 के द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु पेपर सेटर की नियुक्ति के संबंध में नियम किसने पेपर सेट किये, किसने मूल्यांकन किया, बाहर के एक्जामनर व्हाइवा में कौन थे, आदि से संबंधित 09 बिन्दुओं पर जानकारी चाही। सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 28–3–2006 को अपीलार्थी को केवल कंडिका–2 एवं 3 की जानकारी गोपनीय प्रकृति की होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई। शेष जानकारी अपीलार्थी को प्रदान की गई। इसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपील की जिसका निराकरण नहीं होने के फलस्वरूप उसके द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

आयोग के द्वारा सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कंडिका–2 एवं 3 में उल्लेखित जानकारी गोपनीय होने के कारण नहीं दी गई, शेष जानकारी निर्धारित अवधि में प्रदान की जाना बताया है। कंडिका–2 एवं 3 उत्तर पुस्तिका क्रमांक 9103 एवं 9037 जो कि वर्ष 2005 की बी.बी.ए. की परीक्षा से संबंधित है की जानकारी नहीं दी गई। परीक्षा की गोपनीयता बनी रहे इस दृष्टि से

यह आवश्यक है कि किसके द्वारा पेपर सेट किया गया, किसके द्वारा मूल्यांकन किया गया यह बतलाया जाना उचित नहीं होगा। अन्यथा पेपर सेटर एवं मूल्यांकनकर्ता के जीवन को भी खतरा हो सकता है तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा की गोपनीयता भी भंग हो सकती है। उक्त दृष्टि से जन सूचना अधिकारी का आदेश तर्कसंगत है। किन्तु अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 31–07–2006 में बताया है कि जानकारी त्रुटिपूर्ण व अधूरी दी है तथा तर्कों में बताया कि उन्हें पेपर सैटर व मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के नियम तथा बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति व परिवर्तन संबंधी पत्रव्यवहार व नोटशीट के अनुमोदन की प्रतियाँ नहीं दी गई हैं। आंतरिक पेपर सैटर व मूल्यांकन की तो गोपनीय मान्य किया जा सकता है, किन्तु नियमों तथा बाह्य परीक्षाओं संबंधी उपरोक्त अपूर्ण जानकारी अब 15 दिन में निःशुल्क प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं। उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त